कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.04.2025

विषयः- "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप योजनाबद्ध तरीके से छल व रिष्टि के उद्देश्य से योजना में शामिल होकर गुमशुदगी की फर्जी प्रार्थना पत्र तैयार कर झूठी सूचना देने तथा पहचान छुपाकर रहने के मामले में अभियुक्तगण को कुल 37000/- रु. अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2022 धारा 420,188,182,120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय पुत्र सन्तसेवक उपाध्याय 2. अरविन्द कुमार उपाध्याय पुत्र लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय 3. राधिका देवी पत्नी लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय समस्त निवासीगण चनैता अतरौलिया जनपद आजमगढ को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-01.04.2025 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-02 वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को धारा 420 भादवि में रु0 7000/- तथा धारा 188 भादवि में रु0 10000/- धारा 182 भादवि में रु0 10000/- धारा 120बी में रु0 10000/- (कुल 37000/- रुपये) जुर्माने एवं न्यायालय उठने तक की अवधि के दण्ड से दण्डित किया गया है।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।